

13-3-14 पत्रावली पेश हुई / वकील वादी / वकील
उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान P.O. साहब
कोर पर है। अतः पत्रावली दि० 7-11-14
को पेश हो।

रीडर

7-11-14 पत्रावली पेश हुई / वकील वादी / वकील
उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान P.O. साहब
कोर पर है। अतः पत्रावली दि० 19-2-14
को पेश हो।

रीडर

13-2-14 पत्रावली पेश हुई / वकील वादी / वकील
उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान P.O. साहब
कोर पर है। अतः पत्रावली दि० 13-2-15
को पेश हो।

रीडर

13-2-15 वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। गवट
प्रतिवादी भगवानसिंह उपस्थित हैं। वास्ते साश्य
पत्रावली दि० 27-3-15 को पेश हो।

27-3-15 वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। वकील
प्रतिवादी साश्य को समय चाहेते हैं। अतः
वास्ते साश्य प्रतिवादी पत्रावली दि० 8-5-14 को पेश हो।

8-5-15 वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। प्रतिवादी
भगवानसिंह उप० हैं। वास्ते साश्य प्रतिवादी
पत्रावली दि० 19-6-15 को पेश हो।

12-6-15 पत्रावली आज लोक अदालत ब्रिक्किर
रोकसी पर पेश हुई। वादी श्रीकिशन व प्रतिवादी
भगवानसिंह उप० हैं। पक्षकारों ने राजीनामा इस
आशय का पेश किया है कि वादी को मवीन
दादा के पेश करने की अनुमति के साथ
इस दावे को वाफिस लेने की व दस्तावेज लौटाने
की अनुमति प्रदान की जावे।

भगवानसिंह

भगवानसिंह

2489-11
10/6/15

श्री किशन
भगवानसिंह

23-1-13
7-8-13
13-1-13
वादी श्रीकिशन
साश्य
पत्रावली
13-2-15
27-3-15
8-5-15
12-6-15

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहम हुकम में
<p>डाल लडा का पेज वापस आत लिखे</p> <p>(मोहम्मद इस्लाम मेच. वकील वादी</p>	<p>प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी को वाद वापिस लेने, वाद में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वापिस लौटाने व नवीन वाद दायर करने की अनुमति दी जाती है। पचा ठिकी जारी किया जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल नुमांर होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>(सतीश कुमार शर्मा) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी</p> <p>(मुनियेक चांदव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी</p>	

नम्बर
अहम
हुकम
में

1. भगवा
2. प्रह
3. सरव

कुदमा नं.
वाद
तिवादी
को मुनिदे
दिया जा
प
वादी को
लौटाने

गई।

1 वा
2 श
3 प्र
4
5
6
7

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नम्बर
अहक
हुक्म
में

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) टोकसी

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

श्रीकिशन पुत्र रत्ना मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी

—वादी

बनाम

1. भगवान सिंह पुत्र रामखिलाडी जाट निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
2. प्रहलाद पुत्र रामखिलाडी जाट निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
3. सरकार जरिए लेड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा घोषण खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

हुकदना नं. - 156/212

वादी की ओर से वादी श्रीकिशन पुत्र रत्ना मीना की व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी भगवान सिंह पुत्र रामखिलाडी की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 12.06.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी अपना दावा वापिस लेता है। अतः वादी को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है साथ ही प्रस्तुत दस्तावेज भी वापिस लौटाने की अनुमति दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 12.06.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. _____ रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	